रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –10 ● कानपुर 16 से 31 मई 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पर रोक नहीं

डिग्री – डिपलोमा जारी करने का अधिकार नहीं

देश का ढांचा संघीय है, केन्द्रीय विधायिका को संसद तथा राज्य विधायिका को विधान मण्डल कहते हैं, देश में चिकित्सा के नियमन का अधिकार केन्द्र सरकार को है जिसके लिये कानून संसद द्वारा पारित किये जाते हैं तथा नियन्त्रण का अधिकार राज्यों को है जिसके लिये विधान मण्डल द्वारा कानून पारित कर राज्य शासन तथा उसके अधीन प्रशासन द्वारा अनुपालन किया जाता है।

दिल्ली सहित कुछ पश्चिमी राज्यों में इस बात की बड़ी ज़ोरदारी से वकालत की जा रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को बैचुलर या मास्टर उपाधियों से अलंकृत होना चाहिये यह बात सरासर गलत और निराधार है इस तरह की अफवाहों से लगातार हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक लगातार भ्रमित हो रहा है तथा असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है परिणाम स्वरुप हर तरफ एक असहज की स्थिति पैदा होती जा रही है यह स्थिति कभी भी गम्भीर हो सकती है और यह उन लोगों के लिये विसफोटक स्थिति भी पैदा कर सकती है जो लोग ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं।

सत्य तो यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु सिर्फ अर्ह वैधानिक प्रमाणपत्र व विधिक रुप से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीकरण होना आवश्यक है इसके अलावा जो चीज आवश्यक है वह है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां यदि इतनी व्यवस्थायें चिकित्सक के पास हैं तो उसे किसी अतिरिक्त उपाधि की आवश्यकता नहीं है यदि सम्भव हो सके तो अपने साइन बोर्ड व लेटरपैड में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लीनिक व इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक का उल्लेख अवश्य करें वैसे उचित तो यही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को अधिक से अधिक दर्शाया जाये इससे कभी भी किसी भी चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी ऐसी संस्थायें जो बैचुलर, मास्टर व डाक्टर डिग्रियों की वकालत कर रहे हैं या इन डिग्रियों की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं ऐसे लोग भ्रम के साथ–साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी कर रहे हैं,किसी भी चिकित्सक को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ सतत अभियान भी चलाया जाना चाहिये, प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात राज्य में इस तरह के अभियान बड़ी तेज़ी के साथ चलाये जा रहे हैं इस प्रकार के अभियानों के पीछे एकमात्र लक्ष्य चिकित्सकों को डरा कर अपने प्रमाणपत्रों को स्वीकारने के लिये दबाव बनाना है इस खेल में वह कितने सफल हैं यह तो वही जानते हैं लेकिन इससे समाज व चिकित्सकों के बीच में भ्रम व अविश्वास जन्म लेता है ऐसी संस्थायें जो ईमानदारी के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में लगी हैं उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है ! हम गज़ट के माध्यम से लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक स्थिति से सभी को अवगत कराते रहते हैं हमारा प्रयास यह भी रहता है कि देश के किसी भी कोने में यदि कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक विधि सम्मत तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में प्रैक्टिस कर रहा है उसे प्रैक्टिस के दौरान किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है और सूचना हम तक पहुँचती है तो हम यथा सम्भव उसकी परेशानी दूर करने का प्रयास करते हैं जैसा की हमने लेख के प्रारम्भ में ही यह लिख दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करने के लिये किसी भी चिकित्सक को अर्ह प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है न कि विविध तरह की उपाधियों की।

> अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सतर्क हो जायें
> सरकार की मनशा में कोई खोट नहीं
> हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं
> अग्रिम निर्णय तक 21 जून,2011 ही विकल्प
> अपने पंखों को दें लगाम

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में किसी तरह की भ्रान्ति फैलाना अपराध है यहाँ पर एक बार हम फिर आपको यह बता देना चाहते हैं कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करने में किसी भी तरह की रोक नहीं है।

21 जून, 2011 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आदेश जारी करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी यह महत्वपूर्ण आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिवेदन पर ही सम्भव हो सका, यह आदेश इतना स्पष्ट है कि इस आदेश के अनुसार कार्य करते हुये हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता की राह में ले जा सकते हैं यह आदेश स्पष्ट रुप से कहता है कि जब तक 25–11–2003 के निर्देशों के साथ कार्य होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है।

ज्ञातव्य हो कि 25–11–2003 के निर्देशानुसार पूर्णकालिक बैचुलर व मास्टर डिग्री व डिपलोमा प्रदान नहीं किया जा सकता है, ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है।

यादों के झरोखों से

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पितामाह डा0 नन्द लाल सिन्हा का नाम कौन नहीं जानता है ! उनके छोटे पुत्र डा0 विपिन बिहारी सिन्हा जिन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में डा0 वी0 बी0 सिन्हा के नाम से देश ही नहीं अपितु विश्व के इलेक्ट्रो होम्योपैथ जानते थे वे आज हमारे बीच नहीं हैं परन्तु उनके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में किये गये कार्यों से हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ के हृदय में अपना स्थान आज भी बनाये हुये हैं।

डा0 सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ–साथ सरकारी नौकरी में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मोह के कारण इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देकर डा0 नन्द लाल सिन्हा के देहान्त के बाद पूर्ण कालिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपनी सेवायें देने लगे। हमारे बीच आज डा0 वी0 बी0 सिन्हा अवश्य नहीं हैं परन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित किये गये कार्यों से ये आज सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के मन मस्तिष्क में अपना घर बना चुके हैं जो भुलाया नहीं जा सकता है।

मंवासीन स्मृति शेष डा0 वी0बी0 सिन्हा 1937– 06 मई, 2014
एवं पादरी एच0 एल0 खोजी 8 नवम्बर 1947– 01 मार्च, 2018

अब निर्णायक समय

इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत समय से दुविधा भरी स्थिति से गुजर रही है इस पद्धति के नेतृत्वकर्ता आज तक कोई भी ऐसा निश्चित निर्णय नहीं ले पाये जिससे कि सकारात्मक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं फलस्वरूप दुविधा की स्थिति अन्त होने का नाम नही ले रही है यह अवस्था किसी भी तरह से ठीक नहीं होती है क्योंकि दुविधा ग्रस्त व्यक्ति या समाज कभी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है और बिना मनोयोग अधूरी क्षमता से किये गये कार्य कभी भी पूर्ण फलदायी नहीं होते।

वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थिति स्पष्ट और पारदर्शी है जो आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए उपलब्ध हैं वह कार्य करने की पूरी छूट देते हैं और अधिकारपूर्वक कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं यह व्यवस्थाओं की बात है कि हर प्रदेश की अपनी अलग अलग कानूनी व्यवस्था होती है, जिस राज्य में हमें कार्य करना होता है उन्हीं कानूनों का पालन करते हुए हम कार्य कर सकते हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथियों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, विश्वास न होने के दो ही स्पष्ट कारण नज़र आते हैं प्रथम तो यह हो सकता है कि वह लोग समग्र अधिकारिता के स्थान पर व्यक्तिगत अधिकारिता को ज्यादा प्रमुखता देते होंगे या दूसरा कारण यह हो सकता है कि स्वयं को अधिकारविहीन मानकर मात्र अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए तरह–तरह के यत्न करते रहते हैं, अधिकार पाने के लिए यत्न करना बुरी बात नहीं है लेकिन यत्न ऐसे हों जिनका लाभ स्वयं को भी मिले और चिकित्सा पद्धति भी पुष्पित व पल्लवित हो, जब ऐसा होगा तो जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं उनका कार्य और सरल हो जायेगा लेकिन यह तभी सम्भव है जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को व्यक्तिगत न मानकर सार्वजनिक के रूप से स्वीकार करें, कटु सत्य तो यह है कि तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी हमारे साथियों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है सामन्तवाद के स्थान पर वह लोकतन्त्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि वह हमारी सोच से एकरूपता नहीं रखते हैं उनकी सोच भी एक है, लक्ष्य भी एक है, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वह वर्तमान परिस्थितियों में लाभकारी नहीं सिद्ध हो पा रहा है अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मंच पर कार्य करते हुए दिखायी देने के लिए इस तरह के कार्य हमारे साथियों द्वारा किये जाते हैं।

मान्यता का विषय हम सब के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य लोगों के लिए लेकिन मान्यता के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है इस समय उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है। 25 नवम्बर, 2003 के आदेश में भारत सरकार ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं देगी, जिस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश से पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी थी आज वही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने का रास्ता बना रहा है, काम करते हुए सरकार पर इतना दबाव बनाया जाये कि विभागीय अधिकारी इस बात पर स्वयं विवश हो जायें कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए विवश हो जाये, किये हुए कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं हमें सकारात्मक परिणामों से प्रेरणा लेनी चाहिये, योग सदियों से भारत वर्ष में प्रचलित है योग के चमत्कारिक परिणाम जब दुनिया के सामने आये तो दुनिया चकित रह गयी और परिणाम आप सब के सामने हैं योग को मान्यता दिलाने के लिए न तो कोई आन्दोलन किया गया और न ही धरने प्रदर्शन किये गये मात्र अपनी क्षमता के बल पर योग को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ। लिखने का तात्पर्य यह है कि कार्य से हर चीज़ सिद्ध हो जाती है जहां तक राजनैतिक दबाव की बात है, राजनैतिक दबाव पड़ना चाहिये साथ–साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम जिन राजनैतिज्ञों से मिलते हैं उनके सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ऐसी छवि प्रस्तुत करें कि सामने वाला व्यक्ति इस चिकित्सा पद्धति से स्वयं प्रभावित होकर मान्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वतः आगे बढ़ावे इस लिए अब वह समय आ गया है जब इस समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसी ठोस और पारदर्शी नीति निर्मित करें जो कि सर्वजन हिताय हो।

छोटी सी गलती भी गम्भीर परिणाम दे देती है

गलती गलती ही होती है छोटी हो या फिर बड़ी, अक्सर लोग यह कहते हैं कि अरे छोड़ो भी ! यह तो छोटी सी गलती है लेकिन जो लोग छोटी गलती को नज़रन्दाज़ करते हैं उन्हें अपनी गलती की वास्तविकता का एहसास नहीं होता है।

कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत गलत परिणाम दे जाती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोग लगातार ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जो कि कहीं न कहीं से गलतियों की श्रेणी में आते हैं इसका जीता जागता उदाहरण है कि यह सर्वविदित है कि चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति को जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसे उसी राज्य की अपनी परिषद में पंजीकरण कराना होता है और पंजीकरण के बाद उस राज्य के प्रचलित कानूनों का पालन करते हुए ही कार्य करना पड़ता है लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जो स्वीकारणीय नहीं हैं बहुत सारी ऐसी संस्थायें हैं जो अपना मुख्यालय और कार्य क्षेत्र दिल्ली बताते हैं प्रमाण पत्र भी केन्द्रीय देते हैं और चिकित्सक से कहते हैं कि आप पूरे देश में प्रैक्टिस कर सकते हैं।

अपनी बात को सिद्ध करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी देते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश किन परिस्थितियों में हुआ इसका अन्दाज़ा हमारे सीधे–सादे चिकित्सक को नहीं होता है और वह भ्रमजाल से बाहर नहीं निकल पाता है परिणामतः उसे प्रैक्टिस के दरम्यान कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यह किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में तरह–तरह के भ्रम फैलाये जाते हैं उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए एक न्यायालीय आदेश के पालन में सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले हर चिकित्सक को निश्चित अर्हता के साथ अपने परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, यह बात सत्य है कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पंजीयन के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गयी है लेकिन जब सरकार ने यह व्यवस्था दे रखी है कि हर चिकित्सक को जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन करना है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस परिधि से बाहर कैसे आ सकता है ? पंजीयन का आवेदन देने के लिए जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सूचित किया गया हर चिकित्सक इस सूचना से वंचित न रहे इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था तो हमारे साथी पहले तो इस अभियान का विरोध करने लगे फिर धीरे–धीरे विरोध से उपहास में उतर आये और चिकित्सकों को समझाने लगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी मान्यता नहीं मिली है इसलिए मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के आवेदन की आवश्यकता ही नहीं है।

यहां एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढाल बनाया गया हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कार्य करने की अनुमति देता है लेकिन अनुमति के बाद भी कार्य करने के लिए जो नियम हैं उनका पालन तो हमें करना ही होगा यह ऐसे समझा जा सकता है कि प्रदेश में नियम है कि दो पहिया वाहन चलाने के लिए हेल्मेट लगाना आवश्यक है अब यह हर वाहन चालक का दायित्व है कि इस नियम का पालन करे जो आदमी इस नियम का पालन नहीं करता है चेकिंग के दौरान उसका चालान हो जाता है ठीक इसी तरह से जब कभी भी कोई सक्षम अधिकारी किसी चिकित्सक की जांच करता है तो वह हर बिन्दु पर जांच करते हुए यह अवश्य पूछता है कि क्या आपने अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में किया है ? इसका जवाब यदि हाँ में देते हैं तो हाँ की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रपत्र दिखाने पड़ते हैं और यदि आप जवाब न में देते हैं तो अधिकारी आपको नोटिस थमा देता है, तात्पर्य यह है कि छोटी सी गलती कभी–कभी इतनी गम्भीर परिणाम दे देती है जिनकी कभी भी हमने कल्पना नहीं की होती है।

इस तरह के केस अक्सर संज्ञान में लाये जाते हैं हम बार–बार यही प्रयास करते हैं कि हमारा चिकित्सक सजग रहे, जागरूक रहे और अपने अधिकारों के प्रति जानकार हो साथ–साथ जो उसका कर्तव्य है उससे वह विलग न हो लेकिन जब एक ही विषय पर कई तरह के विचार आते हैं तो मन में संशय पैदा होना स्वाभाविक सी बात है लेकिन संशयों से काम नही बनता है।

संशय से ऊपर उठकर वास्तविकता को पहचानना होगा और जो ठोस और आवश्यक कार्य हैं वह तो हमें करने ही होंगे, तत्कालिक लाभ के लिए किया हुआ कार्य कभी भी दीर्घजीवी नहीं होता है मात्र सपनों के सहारे जीवन कटता नहीं है जीवन वास्तविकता से ही गुज़ारा जा सकता है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता यह है कि सारे अधिकार होने के उपरान्त भी हम उसका पूरा आनन्द नहीं उठा पा रहे हैं।

जब हम अधिकारों की बात करेंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो सफ़लता कभी भी शत–प्रतिशत नहीं मिल सकती है। कार्य करने के कितने भी रास्ते क्यों न हों लेकिन यदि हमें विश्वास ही नहीं है तो अपेक्षित परिणाम कैसे मिल सकते है ? धीरे–धीरे समय बीतता जा रहा है लोगों की धारणायें भी बदलती जा रही हैं।

डा0 आदिल एम0 खान प्राचार्य कुशी नगर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर, पडरौना, कुशीनगर बोर्ड के चेयरमैन डा0 एम0 एम0 इदरीसी से वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करते हुये –छाया गज़ट

अब तो रणनीति में परिवर्तन लायें

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के देश में संचालित हो रहे लगभग सभी संगठन लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो जाये, लेकिन वह सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिये, यह महज़ चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि यह गम्भीर चिन्तन का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों है ? लोगों के विचारों में परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा है और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही उनके व्यवसाय का आधार है जिसके सहारे वे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं उनके अन्दर भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सापेक्ष भाव नहीं पनप पा रहा है, निश्चित तौर पर यह सारे बिन्दु विचारणीय हैं। सभी लोग अपने–अपने स्तर से सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं मिल पा रहे हैं कारण हमें ही तलाशनें होंगे प्रथम तो हमें यह देखना होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना के लिये हमारे द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं वह कितने उपयोगी हैं ! इस पर हमें नये सिरे से विचार करना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वह पुरानी हो गयी हो ऐसी दशा में हमें अपनी कार्य प्रणाली पर व्यापक परिवर्तन लाना होगा तथा नये सिरे से नई रणनीति तय करनी होगी अच्छा तो यह होता कि बजाये अलग–अलग रणनीति बनाने के राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी रणनीति बनायी जाये जिसका प्रभाव पूरे देश पर हो क्योंकि आज अलग–अलग रहकर व अलग–अलग रणनीति के सहारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करना सम्भव नहीं है इसलिये ऐसे संगठन जो समान विचार धारा वाले हों वह आपस में बैठकर विचार मंथन करें और यह निर्णय लें कि आखिर ऐसा कौनसा कार्यक्रम चलाया जाये जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा और दशा दोनों सुधर सके यह बात निश्चित तौर पर हर संगठन को स्वीकारनी होगी कि भारत देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन तबतक चलता रहेगा जबतक कि भारत सरकार के आदेश 25–11–2003 के अनुरुप कार्य किया जाता रहेगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में बिना बाधा के काम करने के लिये भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 21 जून, 2011 का आदेश अपने आप में पूर्ण है यह बात भूल जानी चाहिये कि यह आदेश किसी एक के लिये है यह सत्य है कि 21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पक्ष में जारी किया गया था लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने यह सदैव से ही चाहा है कि इस आदेश का उपयोग जनहित में पूरे देश में किया जाये और इसके लिये संगठन द्वारा हर सम्भव प्रयास भी किये जा रहे हैं लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है 29 राज्य एवं 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में काम करना इतना आसान नहीं है अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी यह कार्य हमारे लिये इतना आसान नहीं है फिर भी हम पूरी ऊर्जा के साथ इस आदेश को पूरे देश में क्रियान्वित करवाने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा तो यह होता कि ऐसे सारे लोग भेद–भाव, अपने–पराये, छोटे–बड़े की भावना से ऊपर उठकर और वस्तुतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित चाहने वाले हैं वे साथ बैठकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लग जायें हमें किसी के साथ बैठने व काम करने में कोई परहेज नहीं है अगर किसी को हमारे साथ बैठने या कार्य करने में उनका स्तर आड़े आता है तो वे इशारा करें हम उनसे साथ मिल बैठने में कतई संकोच नहीं करेंगे हमारे स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा न ही हमारा अहम कहीं आड़े आयेगा हमारा उद्देश्य है कि जो कुछ भी रास्ता मिला है उसका हम भरपूर प्रयोग करें और अपने काम से दुनिया को यह दिखा दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो दावे करती है उन कसौटियों पर खरी भी उतरती है। इसलिये हम सबको चाहिये कि हम इस अवसर का भरपूर लाभ लें ताकि प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के सामने हम मज़बूती के साथ खड़े हो सकें यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का अधिकार हम आसानी से पा सकेंगे लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है जितना कि हम यहां लिख रहे हैं लोगों को मानसिक रुप से मज़बूत करने में हमें बड़े प्रयास करने होंगे कारण मानसिकतायें आसानी से नहीं बदलती हैं। व्यवस्थायें कुछ भी हों और परेशानियां कुछ भी आयें यह सारी बातें हमारे विचार को डिगा नहीं सकती हैं। हम बार बार लोगों से इसलिए अपील करते हैं कि जो लोग बरसों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह आगे भी ससम्मान इसी कार्य में लगे रहें। हम जिस रणनीति पर कार्य कर रहे हैं अभी तक वह उपयोगी है परन्तु देश काल और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार यदि कभी हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी तो हमें इस बदलाव में कोई कष्ट न होगा और यदि सभी लोग मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में कार्य करना चाहते हैं और इसके लिए कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होता है तो इस कार्यक्रम को लागू करने में हम कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायेंगे।

हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो जाये और कम से कम 10 राज्यों में तो इसकी स्थापना हो ही जानी चाहिये। अलग–अलग राज्य की अलग अलग व्यवस्थायें हैं हर राज्य की अपनी नीतियां और कानून हैं। हमें उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी, हर राज्य में एक बात समान है, वह यह है कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को यह जानकारी होनी चाहिये कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है इसके लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 21 जून, 2011 को स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है यदि हम यह जानकारी हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ तक पहुँचा पाते हैं तो लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा। कारण जब इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस बात को जान जायेगा कि उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है वह भी अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों की भाँति सम्मान जनक ढंग से प्रैक्टिस कर सकता है। यह कार्य अपने आप में लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम है जब उत्साह के साथ हमारा चिकित्सक कार्य करता है तो उसके कार्य में एक नई लय होती है और इसी के

डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई–महासचिव इहमाई साथ में बैठे डा0 वी0 कुमार सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी से चर्चा करते हुये –छाया गजट

अब तो रास्ते भी सहज हैं

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया और बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 विगत वर्षों से जो कह रहा था धीरे–धीरे ही सही परन्तु अपने अभीष्ट को प्राप्त हो रहा है हमने 27 अप्रैल, 2014 को यह संकल्प लिया था कि आने वाले वर्षों में कम से कम 10 राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करा देंगे और यह भी संकल्प लिया था कि जहाँ कहीं भी यह भ्रम है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य नहीं किया जा सकता है उन्हें भी पूर्ण रूप से संतुष्ट करा देंगे। हमें यह कहते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि जो संकल्प हमने 26 फरवरी, 2015 तक पूरा करने के लिए लिया था वह 22 जनवरी, 2015 को ही पूरा हो गया और देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था द्वारा यह तय कर दिया गया था कि भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर कोई व्यवधान नहीं है बशर्ते यह कार्य 25 –11–2003 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाये और राज्यों में प्रचलित कानूनों का पालन करते हुए संचालित किया जाये अब सिर्फ जरूरत है कि जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिस क्षेत्र से जुड़े हैं अपने क्षेत्र को अपने कौशल के माध्यम से आगे बढ़ायें, अब किसी भी तरह के अस्तु किन्तु, परन्तु की विवशता नहीं है और न ही किसी तरह के अविवेक की आवश्यकता इलेक्ट्रो होम्योपैथी की राह सपाट, समतल मैदान की तरह तैयार है बस आपको एक कुशल खिलाड़ी की तरह अपनी प्रतिभा का परिचय देना है समाज में उसी व्यक्ति का सम्मान होता है और व्यक्ति उसी को स्वीकारता है जो अपनी योग्यता से सबको प्रभावित ही नहीं दरन संतुष्ट भी कर लेता है। जब हम कार्य के क्षेत्र में उतरें तो एक बात हर समय मस्तिष्क में रहनी चाहिये कि हमारा सामना उन चिकित्सा पद्धतियों से है जो सैकड़ों वर्षों से जनता की सेवा में लगी हैं और जिन्हें शासकीय संरक्षण भी वर्षों से प्राप्त है समाज के मन और मस्तिष्क में इन पद्धतियों के प्रति छवि भी सकारात्मक है आपको आज भी जनता के बीच अपनी पैठ बनानी है क्योंकि हमारी पद्धति की छवि वर्षों से विवादित पद्धति के रूप में बनी हुई है समय–समय पर शासन व प्रशासन इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर अंकुश लगाने का निष्प्रभावी प्रयास भी चलाता रहता है ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुणकारी नहीं है और इसके अन्दर प्रभाव डालने की क्षमता नहीं है लेकिन जब किसी पद्धति के बारे में स्थितियाँ विषम पैदा की जा चुकी होती हैं तो उसे पुनः उसी स्थिति में लाने के लिये आपको एक कुशल खिलाड़ी की तरह अपनी प्रतिभा का परिचय देना होता है, समाज में उसी व्यक्ति का सम्मान होता है और व्यक्ति उसी को स्वीकारता है जो अपनी योग्यता से सबको प्रभावित ही नहीं वरन संतुष्ट भी कर लेता है।

बात अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों के सन्दर्भ में हो या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विस्तार के सम्बन्ध में हो जब–जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सवाल उठाये गये हैं तब–तब सवाल उठाने वाले को मुहँतोड़ जवाब मिला है यही वह कारण है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हर झंझावातों को पार करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि हम पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जब–जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी कसौटी पर कसी गयी है वह और भी अधिक चमकदार होकर सामने आयी है, किसी भी चिकित्सा पद्धति की प्रगति व स्थायित्व का मूल आधार होता है उस चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस।

आमजन को तो प्रैक्टिस से प्राप्त परिणामों से होता है और प्रैक्टिस शब्द में भी सारे अर्थ निहित हैं कुछ लोग अभी भी यह तर्क देने में पीछे नहीं हटेंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस ही वैधानिक व अधिकार युक्त बनायी गयी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तरह–तरह के उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु हमारा आम चिकित्सक समझदार है किसी भी भ्रमजाल में वह आने वाला नहीं है वह अच्छी तरह जानता है कि एक अच्छा योग्यताधारी शिक्षित चिकित्सक ही उचित दवाओं का चयन करके ही चिकित्सा कर सकता है अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शैक्षणिक योग्यता होगी तभी वह रोग और रोगी का सही निरीक्षण व परीक्षण कर पायेगा तदोपरान्त अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए औषधियों का सही चयन करेगा और उसे रोगी पर प्रयोग करेगा, जब हर चीज योग्यता के आधार पर की जाती है तो परिणाम भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं यहीं पर परिणामों से तात्पर्य रोगी को रोगमुक्त करना है जब रोगी रोगमुक्त होता है तो मुक्तकंठ से आपकी व आपकी चिकित्सा पद्धति की प्रशंसा से नहीं चूकता है यही वह वस्तु होती है जो प्रतिस्पर्धा में आपको बनाये रखती है।

आज की स्थिति में हमें प्रतिस्पर्धा में रहना है न कि प्रतिस्पर्धा से भागना है, यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य किसी को नीचा दिखाना व ऊँचा उठाना नहीं है प्रतिस्पर्धा इसलिए होनी चाहिये कि हम भी समाज में अपने आप को यह कहते हुए स्थापित करें कि यदि अन्य पद्धतियां प्रभावी हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी प्रभाव में किसी से कम नहीं है।

एक निवेदन | चिकित्सकों से

जोश में आकर किसी ऐसे गम्भीर रोगी को न अपनी राय देने लगें जो रोग की गम्भीर अवस्था में हो, इसका अर्थ यह कतई न लगाना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में गम्भीर रोगों का इलाज नहीं है स्वीकारिता तो यहाँ तक है कि जहाँ असाध्य और गम्भीर रोगों पर अन्य पद्धतियां अपने आपको सहज नहीं पाती हैं वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को असाध्य और गम्भीर रोगों पर महारत हासिल है इसलिए आज की परिस्थिति में उत्तर प्रदेश सहित देश के सारे राज्यों में फैले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को चाहिये कि वह अधिकारितापूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अपने पूरे कौशल का प्रयोग करते हुए चिकित्सा व्यवसाय में लग जायें और इस बात पर भी पैनी दृष्टि रखें कि वह जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ के प्रचलित नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं एक बात और आपको बताते चलें कि चिकित्सा राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को अपने राज्य की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वैधानिक व अधिकार प्राप्त चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना चाहिये साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि चिकित्सक जिस राज्य स्तरीय परिषद में पंजीकृत है उसका वैधानिक स्तर और अधिकार क्या है ? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका पंजीयन किसी भी केन्द्रीय परिषद में तो हो सकता है लेकिन बिना राज्य की परिषद में पंजीयन के आप चिकित्सा कार्य हेतु अर्ह नहीं हैं उदाहरण के तौर पर अगर कोई चिकित्सक दिल्ली के किसी बोर्ड या काउन्सिल से पंजीकृत है तो वह पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में या अन्य किसी भी राज्य में प्रैक्टिस नहीं कर सकता दूसरी बात जिसे लोग अभी गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं वह यह है कि पूरे देश में ऐसी कोई भी संस्था विधिपूर्वक कार्य नहीं कर सकती है जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया हो।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के पत्र से स्पष्ट है कि आज की तिथि में सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे भारत के हर राज्य में प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है, कल क्या होगा ?

इस पर सोचना छोड़कर आज पर जियें और आप सबके सहयोग से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने जो मैदान तैयार किया है उसपर अपना कौशल दिखाने तो तैयार हो जायें।

डा0 अफज़ाल अहमद काज़मी प्रबन्धक फतेहपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट, फतेहपुर से बोर्ड के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी वर्तमान कोर्स साइकिल पर विचार विमर्श करते हुये –छाया गजट